<u>गोपनीय</u>

2020 का विधेयक सं. 9

राजस्थान वित्त विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 और राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 को और संशोधित करने के लिए और भूमि कर से संबंधित विधि को सरल और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 5, 6, 9, 10, 11 और 13 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होंगे तथा शेष उपबंध 1 अप्रेल, 2020 से प्रवृत्त होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

3. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (xix) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(xix) **"लिखत"** में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(क) ऐसा प्रत्येक दस्तावेज जिसके द्वारा कोई भी अधिकार या दायित्व सृष्ट, अंतरित, सीमित, विस्तारित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है; और

(ख) अनुसूची में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज;

स्पष्टीकरण.- शब्द "दस्तावेज" में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (न) में यथापरिभाषित कोई इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी सम्मिलित है।";

(ii) विद्यमान खण्ड (xxxiii-क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(xxxiii-क) **"प्रतिभूतियों"** में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(क) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) की धारा 2 के खण्ड (ज) में यथापरिभाषित प्रतिभूतियां;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 45प के खण्ड (क) में यथापरिभाषित कोई "व्युत्पन्नी";

(ग) निक्षेप प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक आवधिक बिल, वाणिज्यिक कागज, निगमित बंधपत्र पर रेपो और एक वर्ष तक की मूल या आरंभिक परिपक्वता वाली ऐसी अन्य ऋण लिखत, जो भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे; और

(घ) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रतिभूति के रूप में घोषित कोई अन्य लिखत;"; और

(iii) विद्यमान खण्ड (xxxvii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(xxxvii) **"स्टाक एक्सचेंज"** में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(क) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) की धारा 2 के खण्ड (च) में यथापरिभाषित कोई मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज; और

http://finance.rajasthan.gov.in/

(ख) प्रतिभूतियों के संव्यवहार हेतु व्यापार या रिर्पोटिंग के लिए ऐसा अन्य प्लेटफार्म, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाये।"।

4. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 में, विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(3) उप-धारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूतियों के किसी निर्गम, विक्रय या अंतरण की दशा में, ऐसी लिखत, जिस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 9क के अधीन स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है, इस धारा के प्रयोजन के लिए मूल लिखत होगी और ऐसे किसी संव्यवहार से संबंधित किन्हीं अन्य लिखतों पर कोई स्टाम्प शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा।"।

5. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अंतरण" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के मामलों में शुल्कों" से पूर्व अभिव्यक्ति ", या ऐसी अन्य लिखतों, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें," अंत:स्थापित की जायेगी।

6. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 18 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु राज्य के बाहर निष्पादित की गयी राज्य में स्थित किसी संपत्ति से संबंधित प्रत्येक लिखत उसके निष्पादन की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर उस कलक्टर के समक्ष पेश की जायेगी, जिसकी अधिकारिता में संपत्ति स्थित है।"।

7. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 23 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 23 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**23. स्टॉक और विपण्य प्रतिभूतियों का मूल्यांकन कैसे किया जायेगा.-** जहां कोई लिखत किसी स्टॉक या किसी विपण्य या अन्य प्रतिभूति की बाबत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य है, वहां ऐसा शुल्क ऐसे स्टाक या प्रतिभूति के बाजार मूल्य पर संगणित किया जायेगा:

परन्तु स्टाम्प शुल्क की संगणना करने के लिए बाजार मूल्य-

(क) किन्हीं प्रतिभूतियों में विकल्प की दशा में, क्रेता द्वारा संदत्त प्रीमियम होगा;

(ख) कारपोरेट बंधपत्रों पर रेपो की दशा में, उधार लेने वाले द्वारा संदत्त ब्याज होगा; और

(ग) अदला-बदली की दशा में, नकद प्रवाह का केवल प्रथम चरण होगा।"।

8. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 32 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 32 के खण्ड (घ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विनिमय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अदला-बदली सहित विनिमय" प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 36 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (3) में विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात कलक्टर को निम्नलिखित का पृष्ठांकन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी-

(क) कोई निष्पादित या, राज्य में प्रथम बार निष्पादित लिखत और जो उसके निष्पादन या, यथास्थिति, प्रथम बार निष्पादन की तारीख से एक मास के अवसान के पश्चात् उसके समक्ष लायी गयी हो;

(ख) कोई निष्पादित या, राज्य के बाहर प्रथम बार निष्पादित लिखत और जो राज्य में प्रथम बार प्राप्त होने के पश्चात् तीन मास के अवसान के पश्चात् उसके समक्ष लायी गयी हो।"।

10. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 के परन्तुक में,-

(i) विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(घ) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी न्यायालय में किसी लिखत को ग्रहण किये जाने से तब निवारित नहीं करेगी जबकि ऐसी